

गंगा के जल की गुणवत्ता बगिड़ रही है

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय हरति अधिकरण \(NGT\)](#) ने पाया है कि उत्तर प्रदेश में [गंगा नदी](#) में [सीवेज या गंदगी छोड़े जाने](#) के कारण जल की गुणवत्ता खराब हो रही है।

मुख्य बिंदु

- **NGT की चर्चाएँ:**
 - NGT ने उत्तर प्रदेश में सीवेज उपचार की स्थितियों की समीक्षा की, जिसमें पाया गया कि प्रयागराज ज़िले में सीवेज उपचार में 128 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) का अंतर है।
 - [केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड \(CPCB\)](#) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि प्रयागराज में 25 अनुपयोगी नाले गंगा में बना किसी उपचार के सीवेज का प्रवाह कर रहे हैं, जबकि 15 अन्य नाले [यमुना](#) में इसी प्रकार का प्रदूषण फैला रहे हैं।
 - उत्तर प्रदेश में 326 नालों में से 247 का उपयोग नहीं किया गया है और वे गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में अपशिष्ट जल छोड़ते हैं।
- **NGT के निर्देश:**
 - NGT ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया, जिसमें प्रत्येक नाले के सीवेज, उससे जुड़े [सीवेज उपचार संयंत्रों \(STP\)](#) और STP को क्रियाशील बनाने की समयसीमा का विवरण हो।
 - शपथ-पत्र में [अनुपचारित सीवेज निकास को रोकने के लिये अल्पकालिक उपाय भी शामिल होने चाहिये।](#)
- **सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) मुद्दे:**
 - CPCB की रिपोर्ट में बताया गया है कि गंगा के किनारे स्थित 16 शहरों में 41 STP में से छह बंद हैं तथा 35 क्रियाशील संयंत्रों में से केवल एक ही नियमों का अनुपालन करता है।
 - 41 स्थानों पर जल की गुणवत्ता में फेकल कोलीफॉर्म का स्तर सुरक्षा सीमा (500/100 मिली.) से अधिक पाया गया, जबकि 17 स्थानों पर यह 2,500 एम्पीएन/100 मिली. से अधिक पाया गया, जो अनुपचारित मलजल से होने वाले गंभीर प्रदूषण का संकेत है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

- यह एक वैधानिक संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1974 में [जल \(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण\) अधिनियम, 1974](#) के तहत किया गया था।
- [CPCB को वायु \(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण\) अधिनियम, 1981](#) के अंतर्गत शक्तियाँ और कार्य भी सौंपे गए।
- यह एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है तथा [पर्यावरण \(संरक्षण\) अधिनियम, 1986](#) के प्रावधानों के संबंध में पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मामलों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष निकाय है।

परिचय

- ④ **स्थापना:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत
- ④ **उद्देश्य:** पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान
- ④ **मामले का समाधान:** 6 माह के अंदर
- ④ **मुख्यालय:** नई दिल्ली (मुख्यालय), भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई

संरचना

- ④ **संरचना:** अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य
- ④ **कार्यकाल:** 5 वर्ष तक/65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)
- ④ **नियुक्तियाँ:** अध्यक्ष - केंद्र सरकार (भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)
 - ④ 10-20 न्यायिक सदस्य और 10-20 विशेषज्ञ सदस्य - चयन समिति

भारत विश्व स्तर पर तीसरा देश है (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद) साथ ही NGT जैसा विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश भी है।

शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

- ④ **अधिकार क्षेत्र:** पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अधिकारों पर दीवानी मामले
- ④ **स्वप्रेरणा से अधिकार (Suo Motu Powers):** वर्ष 2021 से प्रदान किये गए
- ④ **भूमिका:** न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक
- ④ **प्रक्रिया:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है
 - ④ CPC, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत बाध्य नहीं
- ④ **सिद्धांत:** सतत् विकास; निवारक (Precautionary); प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)
- ④ **आदेश:** सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार निष्पादन योग्य; राहत और मुआवज़ा प्रदान करता है **(निर्णय बाध्यकारी हैं)**
- ④ **अपील:** अधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
 - ④ यदि निर्णय विफल हो जाता है - 90 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिये

NGT निम्नलिखित के तहत सिविल मामलों का समाधान करता है

- ④ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- ④ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- ④ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- ④ वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- ④ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- ④ सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- ④ जैव-विविधता अधिनियम, 2002



Drishti IAS